COURT FEE
बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R 865-I-17

पप्पु तनय बाबू दर्जी,

निबासी– ग्राम कन्नपुर बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़,

................आवेदक

22 FEB 2017

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़,

................अनावेदक

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

134

28-02-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रर्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 263/ स्व निग/02–03 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28/01/2005 से परिबेदित होकर कर रहा हैं, जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र संलग्न है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि, आवेदक को ग्राम कन्नपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 978, 979 रकवा 0.769 हैक्टर भूमि, दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत नायब तहसीलदार कुड़ीला द्वारा प्र0 क0 447/अ–19(4)/1995–96 मे पारित आदेश दिनांक 12/08/96 के द्वारा व्यवस्थापित की गई थी। उपरोक्त भूमि पर आवेदक 02/10/1984 के पूर्व से काबिज था। जिसके संबंध में ब्यवस्थापन के करीब 09 वर्ष उपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को बिधिवत रूप से साक्ष्य सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करनें का अवसर प्रदान किये बगैर ही पारित आदेश दिनांक 28/01/2005 के द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 12/08/96 निरस्त कर दिया। जिससे परिबेदित होकर आवेदक यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

निगरानी के आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–865–एक/2017 जिला–टीकमगढ़

पप्पू विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा अपर कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 263/स्व.निग./2002–03 में पारित आदेश दिनांक 28–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	